न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– : **श्री प्रवीण कुमार**, (R.J.S.) (D.J.Cader)

1. दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या–253/2026 (सी.आई.एस.नं.253/2026)

गोपाल पिता कांतिलाल उम्र 25 वर्ष निवासी नवाघरा पुलिस थानरा चौरासी जिला डूंगरपुर राजस्थान। **..... प्रार्थी–अभियुक्त**

2. दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या–254/2026 (सी.आई.एस.नं.254/2026)

1. **दिनेश पिता डायालाल** उम्र 22 वर्ष
2. **किरीट पिता शांतिलाल** उम्र 23 वर्ष

निवासीयान गैजी फला नवाघरा पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

3. दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या–267/2026 (सी.आई.एस.नं.267/2026)

1. **संजयदास पिता रामदास** उम्र 33 वर्ष निवासी कोलखण्डा खास पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान। **..... प्रार्थीगण–अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक डूंरगपुर (राज.)

.....अप्रार्थी

प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2026 पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर अपराध अन्तर्गत धारा–304(2), 309(4), 317(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस.

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मणलाल कोटेड, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल की ओर से।
2. श्री शिवशंकर कटारा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनेश व किरीट की ओर से।
3. श्री कृष्णराज सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त संजयदास की ओर से।
4. श्री उदयसिंह चौहान, अपर लोक अभियोजक, डूंगरपुर राज्य पक्ष की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक 02.06.2026**

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण गोपाल, दिनेश, किरीट, संजयदास की ओर से अलग–अलग प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत माननीय सेशन न्यायालय में पेश किये गये। जहां से अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये गये। नकल दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। उक्त तीनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2026 पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर से संबंधित होने से इनका निस्तारण इस एक आदेश के जरिये किया जा रहा है।

2. बहस उभय पक्षी सुनी गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण/मुलजिमान निर्दोष है तथा उन्हें उक्त प्रकरण में झूठा फसाया गया है तथा फरियादी ने अज्ञात व्यक्तियों के नाम से प्रकरण दर्ज करवाया गया है, आरोपीगण से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। एकमात्र कमाने वाले है। पूर्व में सजायाब्ता नहीं है। मौतबिर जमानत पेश करने तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का पुरजोर विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(2), 309(4), 317(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस. के अपराध के गंभीर आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

4. मैंने उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया। केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन प्रकरण के अनुसार प्रार्थीया श्रीमती अमृतदेवी निवासी कनबई ने दिनांक 13.04.2026 को उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं करोली कियावर के कार्यक्रम में उपस्थित होकर वापसी में घर जाते हुए भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए खडी थी तब वहां अचानक दो बाईक सवार लडके आये, जिनके पास बजाज की प्लसर सफेद रंग की बाईक थी उक्त बदमाश मेरे गले की सोने की चेन तोडकर, लेकर बाईक पर सवार होकर भाग गये.....इत्यादि। इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर में अभियोजन संख्या 135/2026, अपराध अंतर्गत धारा 304(2), 309(4), 317(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश व संजयदास दिनांक 11.05.2026 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त किरीट व गोपाल दिनांक 13.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के

साथ मिलकर प्रकरण की परिवादीया अमृतदेवी से जबरन सोने की चेन की लूट कारित करने के धारा 304(2), 309(4), 317(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस. के गंभीर प्रकृति के आरोप है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा केस डायरी पर अभियुक्तगण के आपराधिक रेकार्ड बाबत् निम्न तालिका प्रस्तुत की गई है जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा भी अन्य प्रकरण दर्ज होना बताया है :–

क्र सं.	अभियुक्त का नाम	एफआईआर नं. एवं दिनांक	अपराध धारा	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्टेज
1	दिनेश	69/2025 पुलिस थाना कोतवाली	309(3) बीएनएस	–	–
		81/2025 पुलिस थाना कोतवाली	309(3) बीएनएस	–	–
		20/2026 पुलिस थाना रामसागडा	103(1), 238(9), 309(4), 315, 317 बीएनएस	–	–
		31/2025 पुलिस थाना चौरासी	331(2), 305(2), 317(5), 310(2),112(2),बीएनएस	–	–
2	किरीट	31/2025 पुलिस थाना चौरासी	331(2), 305(2), 317(5), 310(2),112(2),बीएनएस	–	–
		107/2025 पुलिस थाना रामसागडा	305ए,331(4), 317(2)(4)(5), 112(2),बीएनएस	–	–
3	संजयदास	112/2023 पुलिस थाना दोवडा	452, 323, 506 भादंसं	–	–
4	गोपाल	107/2025 पुलिस थाना रामसागडा	305ए,331(4), 317(2)(4)(5), 112(2),बीएनएस	–	–
		31/2025 पुलिस थाना चौरासी	331(2), 305(2), 317(5), 310(2),112(2),बीएनएस	–	–
		69/2025 पुलिस थाना कोतवाली	309(3) बीएनएस	–	–
		112/2024	341, 323, 34 भादंसं	–	–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज उक्त आपराधिक रिकॉर्ड से प्रकट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस प्रकार के लूट, चोरी, डकैती आदि के अपराधों में आदतन अपराधी है। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है कि उनके पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के लूट, डकैती, चोरी आदि के अपराध इस क्षेत्र में काफी बढ रहे है जिससे आमजन का बाहर निकलना दुभर हो गया है। ऐसे अपराधीयों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आमजन में भय एवं भारी आक्रोश व्याप्त होगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के

विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप है। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर ज्यादा टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

6. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गोपाल, दिनेश, किरीट व संजयदास की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। --sd--

(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर

7. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। --sd--

(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर